[24/7/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 4087]

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास होशंगाबाद

विधानसभा अतारांकित प्रश्न–क्रमांक 4087

परिशिष्ट–अ

होशंगाबाद जिले में चिन्हित कुपोषित बच्चों को सामान्य बच्चों की श्रेणी में लाने हेतु विभाग द्वारा निम्नानुसार उपाय किये जा रहे हैं:–

- **सुपोषण अभियान** – प्रत्येक त्रैमास में आंगनबाडी स्तर पर स्नेह शिविर का आयोजन।
- **विशेष पोषण अभियान** – कुपोषित बच्चों की उचित देखभाल हेतु माता–पिता को काउन्सलिंग व पोषण परामर्श तथा अतिरिक्त आहार/थर्ड मील का प्रदाय।
- **सी.–सैम**– गंभीर कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित प्रबधन कार्यक्रम अंतर्गत् 5 वर्ष तक के बच्चों में अति गंभीर कुपोषण की पहचान। बिना चिकित्सकीय जटिलता एवं भूख की जांच में पास बच्चों समुदाय स्तर पर ही आंगनबाडी केन्द्र पर सी–सेम क्लीनिक सत्र में उपचार किया जाता है व शेष बच्चों को एन0आर0सी0 में भर्ती कराया जाता है।
- **पोषण पुनर्वास केन्द्र**– अति कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती कर, उनकी स्वास्थ्य जांच या आवश्यक पोषण आहार दिया जाकर उनका फॉलोअप किया जाता है।
- **पौष्टिक सोयाबड़ी का प्रदाय**:– कुपोषित बच्चे के परिवार को बच्चों को वितरित की जा रही है।
- **वसुधा अभियान एवं हिरण्यगर्भा**– होशंगाबाद जिले में गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल हेतु हिरण्यगर्भा एवं **वसुधा अभियान** के माध्यम से चिकित्सक द्वारा ग्राम में ही स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है एवं परियोजना अधिकारी द्वारा पोषण परामर्श प्रदान किया जा रहा है।
- **स्माईल वेन**:– कुपोषित बच्चों का ग्राम में ही चिकित्सक के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक उपचार एवं दवाईंया उपलब्ध कराने हेतु स्माईल वेन चलाई जा रही है।
- **स्नेह सरोकार** – योजना अन्तर्गत समाज के प्रबुद्व वर्ग द्वारा कुपोषित बच्चों की जिम्मेदारी ली जाकर उनके संपूर्ण स्वास्थ्य एवं पोषण की जबावदारी लेकर बच्चे को कुपोषण मुक्त करने का प्रयास किया जाता है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला–होशंगाबाद